Section 76 : Tax collected but not paid to Government

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any order or direction of any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court or in any other provisions of this Act or the rules made thereunder or any other law for the time being in force, every person who has collected from any other person any amount as representing the tax under this Act, and has not paid the said amount to the Government, shall forthwith pay the said amount to the Government, irrespective of whether the supplies in respect of which such amount was collected are taxable or not.

(2) Where any amount is required to be paid to the Government under sub-section (1), and which has not been so paid, the proper officer may serve on the person liable to pay such amount a notice requiring him to show cause as to why the said amount as specified in the notice, should not be paid by him to the Government and why a penalty equivalent to the amount specified in the notice should not be imposed on him under the provisions of this Act.

(3) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person on whom the notice is served under sub-section (2), determine the amount due from such person and thereupon such person shall pay the amount so determined.

(4) The person referred to in sub-section (1) shall in addition to paying the amount referred to in sub-section (1) or sub-section (3) also be liable to pay interest thereon at the rate specified under section 50 from the date such amount was collected by him to the date such amount is paid by him to the Government.

(5) An opportunity of hearing shall be granted where a request is received in writing from the person to whom the notice was issued to show cause.

(6) The proper officer shall issue an order within one year from the date of issue of the notice.

(7) Where the issuance of order is stayed by an order of the court or Appellate Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period of one year.

(8) The proper officer, in his order, shall set out the relevant facts and the basis of his decision.

(9) The amount paid to the Government under sub-section (1) or sub-section (3) shall be adjusted against the tax payable, if any, by the person in relation to the supplies referred to in sub-section (1).

(10) Where any surplus is left after the adjustment under sub-section (9), the amount of such surplus shall either be credited to the Fund or refunded to the person who has borne the incidence of such amount.

(11) The person who has borne the incidence of the amount, may apply for the refund of the same in accordance with the provisions of section 54.

धारा 76 : संगृहीत किन्तु सरकार को संदत्त न किया गया कर

(1) अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में किसी रकम का संग्रहण किया है और उक्त रकम का सरकार को संदाय नहीं किया है तो वह तुरंत इस बात पर ध्यान न देते हुए कि वे पूर्तियां जिनके संबंध में ऐसी रकम का संग्रहण किया गया है, कराधेय है या नहीं, उक्त रकम का सरकार को संदाय करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी रकम का सरकार को संदाय किया जाना अपेक्षित है और जिसका संदाय नहीं किया गया है, वहां समुचित अधिकारी ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को कारण बताने की अपेक्षा करते हुए इस प्रभाव की सूचना जारी करेगा कि सूचना में यथा विनिर्दिष्ट उक्त रकम का उसके द्वारा सरकार को संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के समतुल्य शास्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस पर अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए।

(3) समुचित अधिकारी उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है, प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का अवधारण करेगा और तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने के अतिरिक्त उस पर धारा 50 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर उसके द्वारा रकम का संग्रहण करने की तारीख से सरकार को ऐसी रकम का संदाय करने की तारीख के लिए ब्याज का संदाय करने का भी दायी होगा।

(5) वहां सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा जहां ऐसे व्यक्ति से, जिसको कारण बताओ सूचना जारी की गई थी, लिखित अनुरोध प्राप्त होता है।

(6) समुचित अधिकारी सूचना जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।

(7) जहां आदेश जारी करने पर न्यायालय या अपील अधिकरण के किसी आदेश द्वारा रोक लगाई जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को एक वर्ष की अवधि की संगणना करने में अपवर्जित किया जाएगा।

(8) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के सुसंगत तथ्यों और आधार को अधिकथित करेगा।

(9) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन सरकार को संदत्त रकम का उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्तियों के संबंध में व्यक्ति द्वारा संदेय कर, यदि कोई हो, के प्रति समायोजन किया जाएगा।

(10) जहां उपधारा (9) के अधीन समायोजन के पश्चात् कोई अधिशेष बचता है तो ऐसे अधिशेष की रकम को या तो निधि में जमा किया जाएगा या उसका उस व्यक्ति को प्रतिदाय किया जाएगा जिसने ऐसी रकम को चुकाया है।

(11) वह व्यक्ति, जिसने रकम को चुकाया है, धारा 54 के उपबंधों के अनुसार उसका प्रतिदाय करने के लिए आवेदन कर सकेगा।